संख्या-461/2017/17/22-2-2017-17(41)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी-जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी-फतेहपुरा, थाना-नगला खंगार, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुरानी रंजिश में बन्दी ने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07/08.08.1979 की रात्रि में रायफल, पिस्टल व लाठी से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की व 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/80 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 323, 302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 09.10.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील सं0-2320/1980 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो गयी है, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायायल द्वारा दोषमुक्त किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2016 तक 15 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई पर कोई अपत्ति नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता आस पास एवं समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होने, अपराधी पुन: अपराध का षडयंत्र कर सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 02 सहअभियुक्त अभी जेल में है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सियाराम (बन्दी संख्या-18985) पुत्र श्री छोटेलाल निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-461/2017/17(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-461/2017/17/22-2-2017-17(41)/2017
दिनांक 21 जून, 2017 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सियाराम पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी-फतेहपुरा, थाना-नगला खंगार, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुरानी रंजिश में बन्दी ने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07/08.08.1979 की रात्रि में रायफल, पिस्टल व लाठी से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की व 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-128/80 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 323, 302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 09.10.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील सं0-2320/1980 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 02 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो गयी है, 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायायल द्वारा दोषमुक्त किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2016 तक 15 वर्ष 08 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई पर कोई अपत्ति नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता आस पास एवं समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होने, अपराधी पुन: अपराध का षडयंत्र कर सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 02 सहअभियुक्त अभी जेल में है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in